LL. 3 year & 5 year (Ist Sem) ①

Law of Contract - I

Unit - I

→ History & Nature of Contractual obligations

→ Agreement & contract Definition, elements & Kinds.

→ Proposal & Acceptance - their various forms essential elements, communication & revocation proposal & invitation to treat, Standing offers.

→ Consideration - it's need, meaning, Kinds, essential elements Nudum pactum - privity of Contract & of consideration - its exception - adequacy of consideration - present. Past and adequate consideration - unlawful consideration & its effects

→ Standard forms of Contract.

Scanned with CamScanner

भारतीय संविदा अधिनियम 1872

लागू – 1 सितम्बर, 1872

संविदा विधि सर्वांगपूर्ण दस्तावेज नही है और न ही यह पूरी संविदाओं को अपने में अर्न्तनिहित करता है। क्योंकि इस अधि. के अतिरिक्त संविदा से सम्बन्धित कुछ सिद्धान्त भागीदारी विधि, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधि., सम्पत्ति अन्तरण अधि., में भी हैं।

संविदा की परिभाषा –

सर विलियम अन्सन के अनुसार – 'संविदा से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसे करार या समझौते से है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो तथा जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार, दूसरे पक्षकारों के विरूद्ध किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए कुछ अधिकार अर्जित कर लेते हैं।'

संविदा अधि. की धारा 2 (ज) के अनुसार –

'वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय हो संविदा है।'

उपर्युकत परिभाषा के अनुसार संविदा के दो तत्व हैं –

(1) करार

(2) कराकर विधि द्वारा प्रवर्तनीय होन चाहिए।

'करार की परिभाषा

Scanned with CamScanner

धारा–2 (ङ) 'हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल ही, करार होता है।'

प्रस्थापना (Proposal)

जब कोई व्यक्ति एक प्रस्थापना दूसरे व्यक्ति को भेजता है और वह दूसरा व्यक्ति यदि इस प्रस्थापना को स्वीकार कर लेता है या अपनी सहमति दे देता है तब यह प्रस्थापना वचन कहलाती है। जिस व्यक्ति ने प्रस्थापना दिया था उसे वचनदाता तथा जिस व्यक्ति ने प्रस्थापना दिया था उसे वचनदाता तथा जिस व्यक्ति को प्रस्थापना की गई थी उसे वचनगृहीता कहते हैं –

वचन + प्रतिफल = करार

Promise+Consideration=

Agreement

विधिक बाध्यता (Legal Obligation)

वह करार जो विधिक बाध्यता उत्पन्न करते हैं, संविदा होते है।

जिन करारों से केवल सामाजिक बाध्यता उत्पन्न होती है वे संविदा नहीं बनाते है।

उदाहरण– किसी व्यक्ति को दावत पर बुलाकर घर से गायब हो जाना कोई विधिक बाध्यता नहीं है सिफ सामाजिक बाध्यता है अतः यह संविदा नहीं है।

Scanned with CamScanner

विधिक बाध्यता को ही इग्लैण्ड में 'संविदा करने के आशय' के नाम से जाना जाता है।

बैल्फर बनाम बैल्फर

तथ्य– एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को वचन दिया कि वह तीस पौंड प्रति माह खर्च के लिए उसे भेजता रहेगा। कुछ समय बाद उसने पैसा भेजना बन्द कर दिया। बाद में उनका तलाक भी हो गया। पत्नी पैसे वसूलने के लिए वाद लायी।

निर्णय– लार्ड एटकिन ने कहा कि ऐसे समझौते संविदा नहीं होते। वे संविदाऐं नहीं हैं क्योंकि पक्षकार ऐसा आशय ही नहीं रखते थे।

वैध संविदा के आवश्यक तत्व

संविदा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है –

(1) प्रस्थापना की संसूचना एवं इसका प्रतिग्रहण,

(2) विधिक सम्बन्ध स्थापित करने का आशय,

(3) संविदा करने की सक्षमता (धारा 11)

(4) विधिपूर्ण उद्देश्य एवं प्रतिफल (धारा 23)

(5) ऐसे करार विधि द्वारा शून्य न घोषित किए गए हों,

(6) स्वतंत्र सहमति (धारा–14)

(7) विधिक औपचारिकताऐं यदि आवश्यक हो तो पूरी होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

साधारणतया संविदा या तो मौखिक हो सकती है या लिखित परन्तु कुछ मामलों में विधित द्वारा यह आवश्यक होता है कि कुछ विशेष में विधि द्वारा यह आवश्यक है। उदाहरण के लिए, विक्रय (धारा 54 T.P.A.)

संविदा के प्रकार

{अ}इसके प्रवर्तन के आधार पर –

(1) वैध संविदा

(2) शून्य करणीय संविदा { Sec 2 (1)}

(3) शून्य संविदा { Sec 56}

(4) शून्य करार { Sec 2 (G), Sec 25}

(5) अप्रर्वनीय करार

(6) अवैध करार

{ब} संविदा करने के आधार पर

(1) अभिव्यक्त या प्रत्यक्ष संविदा

शब्दो द्वारा, लिखित द्वारा,

(2) विवक्षित संविदा

आचरण द्वारा – वाद – अपटोन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बनाम पावेल

(3) संविदा के प्रवर्तन की सीमा के आधार पर

(i) एक पक्षीय संविदा

(ii) द्विपक्षीय संविदा

एक पक्षीय संविदा (Unilitral Contract)

Scanned with CamScanner

एक पक्षीय संविदा में एक पक्ष ने अपने वचन का पलान कर दिया होता है और दूसरे पक्ष को अपने वचन का पालन करना अभी शेष होता है। इन मामलों में वचनग्रहीता द्वारा किया गया कार्य ही वचन का प्रतिग्रहण होता है।

द्विपक्षीय संविदा (Bilateral Contract)

द्विपक्षीय संविदाओं बनने के समय अभी दोनों पक्षकार एक–दूसरे से उसी समय प्रस्थापना एवं प्रतिग्रहण करते हैं।

उदाहरण– एक दुकानदार कुछ समान ब के घर पर पहुंचाने हेतु तैयार हो जाता है और ब यह वचन देता है कि जब उसे सामान की प्राप्ति होगी तो वह उसका मूल्य अदा कर देगा। यह एक द्विपक्षीय संविदा का उदाहरण है।

प्रस्थापना Proposal/ offer

परिभाषा – धारा 2 (क) के अनुसार,

"जबकि एक व्यक्ति, किसी बात को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी रजामन्दी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रविरति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करें तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है।"

जो व्यक्ति प्रस्थापना करता है उसे प्रस्थापक कहते हैं और जिसे प्रस्थापना की जाती है उसे प्रस्थायी कहते हैं। धारा 2 (ग) के अनुसार प्रस्थापना करने वाले को

Scanned with CamScanner

वचनदाता कहते है और प्रस्थापना स्वीकार करने वाले को वचनग्रहीता।

वैध प्रस्थापना की शर्तें –

एक वैध प्रस्थापना को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए :–

(1) प्रस्थापना विधिक सम्बन्ध स्थापित करने के आशय से की जानी चाहिए –

बैल्फर बनाम बैल्फर

एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को वचन दिया कि तीस पौंड प्रति माह वह उसे भेजता रहेगा। कुछ समय बाद उसने पैसा भेजना बन्द कर दिया। पत्नी ने वाद संस्थित किया।

न्यायालय ने कहा कि यह संविदा नहीं है क्योंकि पक्षकार ऐसा आश्य नहीं रखते थे।

(2) प्रस्थापना अभिव्यक्त या विवक्षित दोनों प्रकार की हो सकती है –

(3) प्रस्थापना की निश्चितता होनी चाहिए,

(4) किसी प्रस्ताव पर मौन का अर्थ प्रतिग्रहण नहीं है :–

फेल्ट हाउस बनाम विण्डले

तथ्य– वादी ने अपने भतीजे का घोड़ा खरीदने के लिए चिट्ठी लिखी जिसमें कहा 'यदि मुझे घोड़े के बारे में कोई जवाब न मिला तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा 33 पौंड 15 शिलिंग के बदले में मेरा हो गया।' इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया

Scanned with CamScanner

गया परन्तु भतीजे ने अपने नीलामकर्ता से बता दिया कि "घोड़ा को न बेचना क्योंकि यह मेरे चाचा खरीद चुके है।" नीलामकर्ता ने गलती से घोड़ा बेच दिया।

निर्णय न्यायलय ने कहा कि स्पष्ट है कि भतीजा यह चाहता था कि घोड़ा चाचा को मिल जाय परन्तु उसने यह चाचा को संज्ञापित नहीं किया था। प्रस्थापक यह नहीं कह सकते कि यदि कोई उत्तर न मिला तो यह मान लिया जायेगा कि प्रस्थापना का प्रतिग्रहण हो गया है।

(5) प्रस्थापना में किसी कार्य के करने या उससे प्रविरत रहने की अपनी रजामन्दी होनी चाहिए –

(6) प्रस्थापना दूसरे की सहम्मति लेने के लिए संसूचित की जानी चाहिए –

(7) दोनों तरफ से प्रस्थापनायें संविदा नहीं बनाती है –

(जवाबी प्रस्थापना)

<u>हाइड बनाम रेन्च</u>

तथ्य इस वाद में एक खेती 1000 पौंड पर बेचने की प्रस्थापना की गई। प्रस्थायी 950 पौंड तक देने के लिए तैयार हो गया। प्रस्थापक नहीं माना और प्रस्थायी 1000 पौंड देने के लिए तैयार हो गया।

<u>निहालचन्द्र बनाम अमरनाथ</u>

इस वाद में निर्णीत हुआ कि कम दाम पर खरीदने की प्रति स्थापना देकर ब ने क की प्रस्थापना रद्द कर दी है और वह

Scanned with CamScanner

स्वीकार करने योग्य नहीं बची थी और इसलिए कोई संविदा उत्पन्न नहीं हुई थी।

(8) प्रस्थापना, लोक अथवा विशिष्ट हो सकती है :—

वीक्स बनाम टाईबाल्ड

इस वाद में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्थापना किसी निश्चित व्यक्ति के प्रति होनी चाहिए

कार्लिल बनाम कारबोलिक स्मोक वॉल कं0

इस वाद में न्यायालय ने अपने उपर्युक्त निर्णय को पलट दिया।

(9) प्रस्थापना तथा प्रस्थापना का निमन्त्रण

जब कोई यह विज्ञान दे कि उसके पास बिक्री हेतु किताबें हैं तो यह एक प्रस्थापना नहीं है। ऐसे विज्ञापन तो वार्तालाप आरम्भ करने के निमंत्रण के लिए किए जाते हैं या प्रस्थापना करने के लिए या सौदा करने के लिए दिए जाते हैं।

प्रस्थापना तब होती है जब प्रस्थापक अपनी अन्तिम इच्छा स्पष्ट कर दे कि वह संविदा द्वारा बाध्य होना चाहता है अगर दूसरा पक्ष इसे स्वीकार कर लें।

प्रस्थापना के निमन्त्रण के उदाहरण — मूल्य सूची, टिकट–मूल्य, केटलॉग आदि।

हार्वे बनाम फेसी (बम्पर हाल पैन वाद)

तथ्य– वादी ने प्रतिवादी को एक तार भेजा–"क्या आप अपनी सम्पत्ति जिसका नाम बम्पर हाल पैन है उसे बेचेगा? कम से कम नकद मूल्य का तार दीजिए।"

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी ने तार द्वारा उत्तर दिया– "बम्पर हाल पैन के कम से कम नकद दाम 900 पौंड है।" वादी ने फिर तार दिया और यह कहा कि "हमें मंजूर है।"

प्रतिवादी ने उस दाम से बेचने से इन्कार कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि वादी ने प्रथम तार में दो प्रश्न पूछे ये प्रतिवादी ने दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने दाम तो बताएं परन्तु बेचने का आशय था या नही इसके बारे में खामोश रहे इसलिए उन्होंने कोई प्रस्थापना कह परन्तु उसे प्रतिवादी ने स्वीकार नहीं किया था।

मैकफैर्सन बनाम अपन्ना (Page 13)

इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंग्रेजी न्यायालय द्वारा हार्वे बनाम फेसी वाद में दिए गए निर्णय को स्वीकार किया।

(10) प्रस्थापना को संसूचित किया जाना चाहिए {धारा 4}

प्रस्थापना की संसूचना तब पूर्ण होती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह दी गई है।

लालमन बनाम गौरी दत्त

तथ्य प्रतिवादी का भतीजा खो गया। उसने अपने मुनीम को बच्चे की तलाश में भेजा। उसके जाने के बाद प्रतिवादी ने कानपुर नगर में कुछ पर्चे बंटवाएं जिसमें यह प्रस्थापना थी कि जो भी बच्चे को खोज कर लायेगा उसे 501 रू. इनाम दिया

Scanned with CamScanner

जाएगा। मुनीम बच्चे को खोज लाया और इसके बाद उसे प्रस्थापना के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने इनाम पाने का प्रयत्न किया परन्तु उसका वाद असफल रहा।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि संविदा स्थापित करने के लिए किसी प्रस्थापना का प्रतिग्रहण होना चाहिए और बिना प्रस्थापना के ज्ञान के प्रतिग्रहण नहीं हो सकता।

हरभजन बनाम हरिचरन

तथ्य एक लड़का अपने पिता के घर से भाग गया। पिता ने पर्चे बंटवाये जिसमें घोषित किया कि जो व्यक्ति बच्चे को ढूंढकर घर लायेगा उसे 500 रू. दिए जाएंगे। एक व्यक्ति ने बच्चे की सूचना उसके पिता को दी।

निर्णय निर्णीत हुआ कि चहे वह लड़के को घर नहीं लाया था, उसने प्रस्थापना की शर्त को पूरा कर दिया था और इसलिए इनाम का अधिकारी है।

अनिवार्य या मानक रूपी संविदाएं

(Standard Form contaract)

ऐसे बड़े व्यापारिक संगठनों के लिए यह सम्भव नहीं की वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ विभिन्न प्रकार की संविदा करें। इसलिए उन्होंने मानकीकृत संविदा छपवा रखी हैं जिनमें बहुत बारीक शब्दों में अनेकों प्रकार की शर्तें रहती हैं। इतने बड़े संगठन के साथ कोई व्यक्ति सौदेबाजी नहीं कर

Scanned with CamScanner

सकता। इसलिए वह उन्हें पढ़ने की या जानने की व्यर्थ मेहनत नहीं करता।

थार्न बनाम शू लेन पार्किंग लि0

लार्ड डेनिंग ने इस वाद में कहा कि हजारों में से एक भी ग्राहक ऐसी शर्तों को पढ़ता नहीं है। यदि वह पढ़ने बैठ जाता तो उसकी गाड़ी या किस्ती ही छूट जाती।

युक्तियुक्त सूचना का सिद्धान्त

जो व्यक्ति मुद्रित संविदा वाला दस्तावेज दूसरे को देता है, उसका यह कर्तव्य है कि शर्तों के बारे में युक्तियुक्त सूचना दूसरे को दे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो दूसरा व्यक्ति प्रतिग्रहण हो जाने के बाद भी ऐसी शर्तों से बाध्य नहीं होता है।

हेन्डर्सन बनाम स्टीवेन्सन

तथ्य– वादी ने एक जलयान की यात्रा के लिए टिकट खरीदा। टिकट के पीछे की ओर कुछ शर्तें छपी हुई थी जिनमें से एक यह थी कि यात्रियों के सामान का नुकसान किसी कारण से होने के बावजूद भी कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी। वादी ने टिकट के पीछे नहीं देखा और न ही टिकट के ऊपर कोई चेतावनी थी कि शर्तों के लिए पीछे देखिए। वादी का सामान कर्मचारियों की असावधानी के कारण नष्ट हो गया।

निर्णय हाउस आफ लॉर्ड्स ने कहा कि वादी ऐसी शर्तों से बाध्य नहीं ठहराया जा सकता था जो उसने कभी नहीं देखी थी,

Scanned with CamScanner

जो टिकट पर सामने की ओर छपी बातों से कोई भी सम्बन्ध नहीं रखती थी।

इस वाद का परिणाम कुछ और होता अगर टिकट पर यह छपा रहता की शर्तों के लिए पीछे की ओर देखिए।

प्रतिग्रहण (Acceptance)

प्रतिग्रहण के नियम

1 प्रतिग्रहण प्रत्यक्ष या विवक्षित हो सकती है।

2 विशिष्ट प्रस्थापना का प्रतिग्रहण केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए वह प्रस्थापना की गई है, लेकिन लोक प्रस्थापना को कोई भी व्यक्ति उसमें दी गई शर्तों को पूरा करते हुए प्रतिग्रहीत कर सकता है।

बोल्टन बनाम जोन्स

तथ्य– वी ने एक ब्रोकलहर्स्ट नाम के व्यापारी का कारोबार खरीद लिया था। प्रतिवादी ब्रोकलहर्स्ट के साथ संव्यवहार करते थे और इस परिवर्तन को न जानते हुए कुछ किताबें खरीदने का प्रस्ताव भेजा। वादी को यह प्रस्थाना मिली औरा उसने किताबें भेज दीं। माल उसे मिल गया और उसने उसका प्रयोग कर लिया। जब किताबों का बि आया तो उसे मालूम हुआ कि भेजने वाला कोई और था।

निर्णय– न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी दायी नहीं था। क्योंकि प्रतिवादी ने

Scanned with CamScanner

प्रतिग्रहीता के स्वीकृत किए जाने वाले शब्द को स्पष्ट रूप से सुन लेता है।

अन्सन महोदय के अनुसार "प्रस्थापना के लिए स्वीकृति का वही महत्व है जो बारूद से भरी हुई गाड़ी के लिए जलती हुई दियासिलाई है।"

{ टेलीफोन वार्तालाप में प्रस्थापना के जवाब में जब प्रतिग्रहीता अपनी स्वीकृति देता है तो जैसे ही उसकी स्वीकृति के शब्द प्रस्थापक सुनता है उसी समय व स्थान पर संविदा सम्पूर्ण हो जाती है।}

डाक के मामले में नियम भिन्न है भारत में, जैसे ही प्रतिग्रहीता, स्वीकृति पत्र डाक में डालता है संविदा हो जाती है परन्तु बाध्य सिर्फ प्रस्थापक होता है, परन्तु जब डाक द्वारा प्रस्थापक को मिल जाता है तो प्रतिग्रहीता भी बाध्य हो जाता है

Anson के अनुसार –"प्रस्थापना के लिये स्वीकृति का वही महत्व है जो बारूद से भरी हुई गाड़ी के लिये जलती हुयी प्रयास का है।

Depth P -13

प्रतिफल (Consideration)

(1) प्रतिफल वचनदाता की इच्छा (वांछा) पर दिया जाना चाहिए –

धारा 2 (घ) परिभाषित करती है कि कार्य या प्रविरति ऐसी होनी चाहिए जो वचनदाता की वांछा पर की गई हो। दूसरे शब्दों में जो कार्य वचनदाता की इच्छा पर न किया गया हो वह प्रतिफल नहीं हो सकता।

दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव

तथ्य– वादी को कलेक्टर के आदेश पर एक बाजार और दुकानें बनवानी पड़ी, ये दुकाने कुछ व्यापारियों को मिली जिन्होंने दुकान बनाने के बदले में यह वचन दिया था कि इन दुकानों के माध्यम से किये गये व्यापार पर उसे कुछ कमीशन दिया जाता रहेगा। व्यापारियों ने कमीशन नहीं दिया और वादी उसे प्राप्त करने के लिए वाद लाया।

Scanned with CamScanner

निर्णय– न्यायालय ने कहा कि कार्य प्रतिवादियों की वांछा पर नहीं किया गया था क्योंकि यह कलेक्टर के आदेश का पालन था।

वचनात्मक विबन्ध :

वचनदाता की इच्छा पर किया गया कार्य पर्याप्त प्रतिफल होता है चाहे इससे वचनदाता को कोई भी व्यक्तिगत लाभ न प्राप्त हो रहा हो।

केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद

तथ्य– हावड़ा में एक नागरिक द्वारा हाल बनाने का सुझाव स्वीकार किया गया, अगर पर्याप्त चंदा मिल सके। इस उद्देश्य के लिए हावड़ा नगर महापालिका के कमिशनर ने एक सूची बनाकर चन्दा इक्ट्ठा करने की कोशिश की। गोर मोहम्मद ने 100 रू. देने का वचन दिया था। यह देखते हुए कमिश्नर ने इमारत बनवाना आरम्भ कर दिया। गोरी मा0 ने अपना चन्दा नहीं दिया और इसे वसूलने के लिए उस पर वाद लाया गया।

निर्णय– गोरी मोहम्मद को उत्तरदायी ठहराया गया। वादी का हाल बनवाने के लिए ठेका देना, एक ऐसा कार्य था जो सभी चन्दा देने वालों, जिसमें प्रतिवादी भी सम्मिलित था, की वांछा पर किया गया था।

इस वाद में वचनदाता को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा था परन्तु कार्य उसकी वांछा पर प्रारम्भ किया गया था जो पर्याप्त प्रतिफल था। यह एक प्रकार का वचनात्मक विबन्ध है।

(2) प्रतिफल का सम्बन्ध (Privity of Consideration)

आंग्ला विधि –

प्रतिफल वचनग्रहीता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया हो –

डाल्टन बनाम पुले

इस वाद में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिफल वचनग्रहीता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

किन्तु 200 वर्ष पश्चात क्वीन बेंच ने ट्रिविडिल बनाम एटकिन्सन के वाद उपरोक्त नियम को मानने से इंकार कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिफल हमेशा वचनग्रहीता की ओर से आना चाहिए और यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिफल दिया जाता है तो वचनग्रहीता प्रतिफल के लिए अजनबी हो जाता है और उसके द्वारा इस संविदा का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है।

हाउस आफ लार्डस ने डनलप न्यूमैटिक टायर कम्पनी बनाम सेलप्रिज एण्ड कं0 के उपरोक्त ट्रिविडल बनाम एटकिन्सन वाद का समर्थन किया और निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए –

(क) प्रतिफल केवल वचनग्रहीता की ओर से दिया जाना चाहिए यदि प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो वचनग्रहीता प्रतिफल का संसर्गी नहीं होगा इसलिए वह संविदा को लागू नहीं करा सकता। (प्रतिफल का सम्बन्ध)

(ख) कोई भी करार ऐसे व्यक्ति द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता उसमें पक्षकार की हैसीयत नहीं रखता है चाहे संविदा उसके ही भले के लिए की गई हो।

(सविंदा का सम्बन्ध)

भारतीय विधि – प्रतिफल का सम्बन्ध

यह सिद्धान्त भारतीय विधि में लागू नहीं होता है। चिनय्या बनाम रमय्या के वाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिफल वचनग्रहीता की ओर से हो या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है।

संविदा अधि0 की धारा 2 (घ) यह बाती है कि 'प्रतिफल वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है।'

इंग्लैण्ड में प्रतिफल सिर्फ और सिर्फ वचनग्रहीता द्वारा जाना चाहिए परन्तु भारतीय विधि में धारा 2 (घ) के अनुसार तथा चिनय्या Vs रमय्या वाद के अनुसार

Scanned with CamScanner

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। धारा 2 (घ) कहती है कि प्रतिफल वचनदाता की वांछा पवर वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया हो।

संविदा का सम्बन्ध

संविदा के सम्बन्धका सिद्धान्त जिसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति संविदा में पक्षकार नहीं है वे संविदा को प्रवृत्त कराने के लिए वाद नहीं ला सकते हैं यह सिद्धानत अंग्रेजी विधि में गहरी जड़े बना चुका है परन्तु भारतीय विधि में न्यायालयों में इसे लागू करने के विषय में एकमतता नहीं है।

ख्वाजा मुहम्मद खा बनाम हुसैनी बेगम के वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस नियम को लागू नहीं किया इसके उपरान्त जमुनादास बनाम रामअवतार के वाद में न्यायालय ने संविदा का सम्बन्ध नियम लागू किया तथा आंग्लवाद ट्विडल व एटकिन्सन के सिद्धान्त को स्वीकार किया।

बीते वर्षों में न्यायालयों ने इस सिद्धान्त के कुछ अपवाद विकसित किए है जो निम्नलिखित हैं अर्थात इस नीचे दिए गए मामलों में 'संविदा का स्बन्ध' नियम लागू नहीं होता है :–

(1) न्यास अथवा भार –

जब किसी विशिष्ट सम्पत्ति में किसी व्यक्ति के लिए किसी भार अथवा हित का निर्माण किया जाता है तो वह व्यक्ति संविदा में पक्षकार न होते हुए भी उस संविदा को प्रवृत्त करा सकता है।

ख्वाजा मुहम्मद खाँ बनाम हुसैनी बेगम (पानदान केस)

तथ्य– अपीलार्थी ने हुसैनी बेगम के पिता के साथ यह करार किया कि हुसैनी बेगम की उसके लड़के से शादी के प्रतिफल में वह, हुसैनी बेगम को सदैव के लिए खर्चे के तौर पर 500 रू. महीना देता रहेगा और उसने इस उद्देश्य के लिए कुछ सम्पत्ति भारित की और यह कहा कि सम्पत्ति की आय से वह यह भुगतान वसूल करेगी। हुसैनी बेगम और उसके पति में कुछ मतभेद हो

Scanned with CamScanner

जाने के कारण हुसैनी बेगम को घर छोड़ना पड़ा और उसका भुगतान बन्द कर दिया गया।

निर्णय– निर्णीत हुआ कि चाहे इस संविदा में हुसैनी बेगम कोई पक्षकार नहीं थी, वह साम्या विधि के सिद्धान्तों के अनुसार उसके पक्ष में किए गए भार को प्रवर्तित कर सकती थी। संविदा यह उपबन्ध रखती थी कि भुगतान अचल सम्पत्ति की आय से किया जाएगा जिससे वह अचल सम्पत्ति इस भुगतान के लिए प्रभारित हो गई थी।

राणा उमानाथ सिंह बनाम जंग बहादुर

तथ्य– यू को उसके पिता ने अपनी सारी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नियुक्ति किया और सम्पत्ति का कब्जा उसे दे दिया। इसके बदले में न्यू ने अपने पिता से वचन किया कि वह कुछ रूपया जे जो उसके पिता का अधर्मज पुत्र था, उसके बालिग होने पर देगा और उसे एक गांव भी देगा।

निर्णय– निर्णीत हुआ कि इन परिस्थितियों में जे के पक्ष उतने धन और गांव के लिए न्याय उत्पन्न हो गया था, इसलिए उसे वाद लाने का अधिकार था।

(ii) विवाह, बंटवारा तथा अन्य पारिवारिक अनुबन्ध

जब किसी विवाह, बंटवारे या अन्य पारिवारिक सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध किया गया है जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के भले के लिए उपबन्ध हो जो उसे अनुबन्ध में पक्षकर नहीं है वह ऐसे अनुबन्ध के आधार पर वाद ला सकता है।

(iii) अभिस्वीकृति तथा विबन्ध

जब किसी संविदा में एक पक्षकार को किसी तृतीय व्यक्ति को कुछ देना हो और वह ऐसे तृतीय पक्षकार के प्रति अपने दायित्व को अभिस्वीकृत कर ले तो वह बाध्य हो जाएगा।

(iv) भूमि पर प्रभारित प्रसंविदा

संविदा में संसर्ग का सिद्धान्त जमीन के साथ चलने वाली प्रसंविदा से भी बदला जा सकता है।

Scanned with CamScanner

टल्क बनाम माक्सहे के प्रमुख वाद का सिद्धान्त यह है कि जब कोई व्यक्ति यह जानकर भूमि खरीदता है कि जमीन, स्वामी पर कुछ कर्तव्य लादती है तो वह ऐसे कर्तव्य से बाध्य हो जाएगा, चाहे वह संविदा का पक्षकार न रहा हो।

5. प्रतिफल भूतलक्षी, भावी तथा भविष्य लक्षी हो सकता है –

धारा–2 (घ) यह बताती है कि प्रतिफल एक ऐसा कार्य है जो वचनदाता की वांछा पर किया जा चुका है या किया जा रहा है या भविष्य में करने का वचन दिया गया है।

जो कार्य किया जा चुका है उसे निष्पादित प्रतिफल कहते हैं।

पूर्व कालिक (भूतलक्षी) प्रतिफल

आंग्ला विधि का यह बहुत ही पुराना सिद्धान्त है कि प्रतिफल संविदा का समकालिक होना चाहिए। प्रतिफल वचन का मूल्य है इसलिए इसे वचन के बदले में दिया जाना चाहिए। यदि कार्य वचन से पहले ही किया जा चुका है तो इसे पूर्वकालिक प्रतिफल कहते हैं।

यह दो प्रकार का होता है

(क) <u>कार्य जो बिना प्रार्थना के किया गया हो</u> –

पूर्व कालिक स्वैच्छिक सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो बिना प्रार्थना के की गई हो और जिसके लिए वाद में वचन दिया गया हो। अर्थात कार्य हो जाने के बाद वचनदाता ने उस कार्य के बदले कुछ देने का वचन दिया हो।

उदाहरण– 'अ, ब को डूबने से बचाता है और ब उसे इनाम देने का वचन देता है।'

ऐसा पूर्वकालिक प्रतिफल आंग्ल विधि में पर्याप्त नहीं है अतः वचनग्रहीता ऐसे प्रतिफल के आधार पर संविदा को लागू नहीं करा सकता है।

परन्तु भारतीय विधि में ऐसा प्रतिफल एक अच्छा प्रतिफल माना जाता है और इसे धारा 25 (2) के अन्तर्गत लागू कराया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

(ख) प्रार्थना पर किया गया पूर्वकालिक कार्य

सन् 1616 ई० में आंग्ल न्यायालय ने लैम्पलेह बनाम ब्रैथवेट के वाद में यह अभिनिर्धारित हुआ कि यदि पूर्वकालिक सेवा वचनदाता की प्रार्थना पर की जाती है तो ऐसी सेवा बाद में दिए गए वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल होता है।

भारतीय विधि में प्रार्थना पर की गई पूर्वकालिक सेवा बाद में दिए गए वचन के लिए एक अच्छा प्रतिफल होता है और इसे धारा 2 (घ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

निष्पादित प्रतिफल एवं पूर्वकालिक प्रतिफल

निष्पादित प्रतिफल में कार्य वचन के जवाब में किया जाता है या वचनदाता की इच्छा पर किया जाता है परन्तु पूर्वकालिक प्रतिफल में कोई कार्य बिना वचनदाता की इच्छा से किया जाता है।

उदाहरण–माना क का कोई पर्स खो जाता है और वह उसे ढूंढने वाले को 100 रू. इनाम देने की घोषणा करता है यदि ख इस इनाम की राशि हेतु पर्स को ढूंढलाता है तो उसका यह कार्य निष्पादित प्रतिफल कहलाएगा।

यदि क का पर्स खो जाता है और ख उसे ढूंढ लाता है तदोपरान्त क उसे 100 रू. देने का वचन देता है, यहां पर ख द्वारा किया गया कार्य क के लिए पूर्वकालिक प्रतिफल होगा।

भावी प्रतिफल (भविष्यलक्षी प्रतिफल)

प्रतिफल ऐसा भी हो सकता है जिसमें भविष्य में कोई कार्य करने का वचन दिया जाता है।

उदाहरण–अ ने ब के घर एक बोरा गेंहू एक माह बाद पहुंचाने का वचन दिया और ब ने उसे उस समय (जब गेंहू पहुंचेगा) 500 रू. देने का वचन दिया।

(6) वाद लाने से प्रविरत रहना एक अच्छा प्रतिफल है :–

वाद लाने से प्रविरत रहना सदैव ही पर्याप्त प्रतिफल माना गया है। वाद लाने से प्रविरत रहना से तात्पर्य

Scanned with CamScanner

यह है कि वादी को प्रतिवादी या अन्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध दावा दायर करने का अधिकार है परन्तु प्रतिवादी के वचन के आधार पर वह ऐसा नहीं करता।

(7) प्रतिफल विधितः मूल्यवान होना चाहिए :

प्रतिफल ऐसा होना चाहिए जिसका विधि की दृष्टि में कुछ मूल्य हो।

(8) यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल वचन के बराबर हो या पर्याप्त हो

{ धारा 25 स्पष्टी 2}

जितना प्रतिफल पाने की संविदा किसी व्यक्ति ने की है और यदि वह कुछ मूल्यवान है तो न्यायालय इस बात की जांच नहीं करते हैं कि वह बदले में दिए गए वचन के बराबर है या नहीं।

प्र0 प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? क्या बिना प्रतिफल के किया गया करार मान्य होगा।

अथवा

प्रतिफल को परिभाषित कीजिए? प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है अथवा नहीं? अपवादों सहित चर्चा कीजिए।

उ0 प्रतिफल की परिभाषा –

न्यायमूर्ति पैटर्सन के अनुसार – "प्रतिफल वह वस्तु है जिसका विधि की दृष्टि में कुछ मूल्य है, ... यह वादी का कुछ लाभ हो सकता है अथवा प्रतिवादी का कुछ अहित।"

ब्लैकस्टोन के अनुसार – "प्रतिफल ऐसे मुआवजे को कहते हैं जो संविदा का एक पक्षकार दूसरे को देता है।"

भारतीय संविदा अधि0 की धारा 2 (घ) के अनुसार –

जबकि वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से प्रविरत रहा है, या करता है या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रविरति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है।

प्रतिफल के बिना किया गया करार :–

Scanned with CamScanner

भारतीय संविदा अधि0 की धारा 25 कहती है कि "प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है।"

रैना बनाम हयूज के वाद में लार्ड चीफ बैरन स्काइन ने कहा कि यह निःसंदेह सत्य है कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने वचन निभाने चाहिए। यह भी बराबर सत्य है कि आंग्ल विधि ऐसे अनुबन्ध का पालन करवाने के लिए कोई उपाय या साधन नहीं देती है जो पर्याप्त प्रतिफल के बगैर किया गया हो।

प्रतिफल का अर्थ होता है – 'quid pro quo' अर्थात कुछ मिलना'।

बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है परन्तु कुछ अपरवादिक परिस्थितियों में ऐसे करार जिनमें प्रतिफल नहीं होता है मान्य है जो कि निम्नलिखित है :–

प्रतिफल के अपवाद

(1) धारा 25 (1) यदि ऐसा करार लिखित हो और रजिस्टर्ड हो तथा पक्षकार एक दूसरे से निकट सम्बन्ध रखने वाले हो और वह करार नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो।

राजलखी देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी

प्रतिवादी ने अपनी पत्नी को अलग रहने के खर्चे तथा मकान के लिए प्रति मास कुछ पैसे देने का वचन दिया। वचन लिखित और पंजीकृत था और उसमें यह कहा गया था कि कुछ झगड़े और अनबन के कारण ऐसा करना पड़ा है। प्रतिवादी ने पैसे देने से इन्कार कर दिया।

निर्णय– न्यायालय ने यह नहीं माना कि यह अपवाद की स्थिति में आ सकती है। जो पक्षकार अपने झगड़ों के कारण इक्ट्ठे नहीं रह पाये उनमें प्रेम और स्नेह की भावना का साक्ष्य नहीं मिलता है।

(2) धारा 25 (2) किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः प्रतिकर देने का वचन दिया गया हो जिसमें वचनदाता के लिए स्वेच्छा से पहले ही कोई बात कर दी हो।

(3) धारा–25 (3) – कालावरोधित ऋण

Scanned with CamScanner

किसी परिसीमन विधि द्वारा बाधित ऋण को पूर्णतः या भागतः देने का वचन करना परन्तु यह करार उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या उसके अभिकर्ता द्वारा लिखित व हस्ताक्षरित होना चाहिए।

अन्य अपवाद

(4) क्षतिपूर्ति की संविदा : (धारा 124 – 125)

(5) प्रत्यामूति की संविदा (धारा 126)

(6) उपनिधान (धारा 159)

(7) अभिकरण संविदा (धारा 185)

(8) दान – (T.P.A. की 123, संविदा अधि0 की धारा 25 का I स्पष्टी.)

(9) पराक्रम्य लिखत अधि0 की धारा 118

Scanned with CamScanner